

संसदीय समितियाँ

प्रलिस के लयः

संसदीय समतलरलरल, अनुचुछेद 105, अनुचुछेद 118, अधयकष, राज्यसभा, लोकसभा

मेन्स के लयः

संसदीय समतलरलरल और इनका महत्त्व

चरुा में क्युँ?

हाल ही में 22 स्थायी समतलरलरल का पुनरुगठन हुआ ।

संसदीय समतलरलरलः

परचयः

- संसदीय समतलरलरल सांसदुँ का एक पैनल है जसल सदन दुवारा नरुयुकुत या नरुवाचतल कयल जाता है या अधयकष/सभापतलदुवारा नामतल कयल जाता है ।
- समतलरल अधयकष/सभापतल के नरुदेशन में कारुय करतल है और यह अपनी रपलरुट सदन या अधयकष/सभापतलकु प्रसुतुत करतल है ।
- संसदीय समतलरलरल कु उतुपततल बरुटलशल संसद में हुई है ।
- वे अनुचुछेद 105 और अनुचुछेद 118 से अपना अधकलरल प्ररुाप्त करते हैं ।
 - अनुचुछेद 105 सांसदुँ के वशलषाधकलरलरुँ से संबंधतल है ।
 - अनुचुछेद 118 संसद कु अपनी प्रकरुयल और कारुय संचालन कु वनलरुयलमतल करने के लयल नयलम बनाने का अधकलरल देता है ।

आवशुयकताः

- वधलरुयल कारुय शुरु करने के लयल संसद के कसलरुँ भी सदन में एक वधलरुयक प्रसुतुत कयल जाता है लेकनल कानून बनाने कु प्रकरुयल अकसर जटललल हुतल है तथा संसद के पास वसलतुत चरुा के लयल सीमतल समय हुता है ।
- साथ ही राजनीतकल धरुवुकरण और चरुा हेतु सामंजसुय का अभाव संसद में तेरुलु से वदलवेषपूरुण और अनरुणायक बहसुँ कु जनुम दे रहा है ।
 - इन मुदुँ के कारण वधलरुयल कारुय का एक बडुा नरुणय संसद के बरुाय संसदीय समतलरलरल में हुता है ।

संसद कु वभलनलन समतलरलरलः

- भारत कु संसद में कई प्रकरल कु समतलरलरल हैं । उनुँ उनके काम, उनकी सदसुयता और उनके कारुयकाल के आधार पर वभलदतल कयल जा सकता है ।
- तथापलभुते तुर पर संसदीय समतलरलरल दु प्रकरल कु हुतल हैं- स्थायी समतलरलरल और तदरुथ समतलरलरल ।
 - स्थायी समतलरलरल स्थायी (प्रतुयक वरुष या समय-समय पर गठतल) हुतल हैं और नरुतर आधार पर काम करतल हैं ।
 - स्थायी समतलरलरल कु नमलनलखतल छह शरुणयलुँ में वरुगुकुत कयल जा सकता हैः
 - वतलतुय समतलरलरल
 - **वभलरुगुय स्थायी समतलरलरल**
 - जूँच हेतु समतलरलरल
 - जूँच और नरुयलतुरण के लयल समतलरलरल
 - सदन के दनल-प्रतदलनल के कारुय से संबंधतल समतलरलरल
 - हाउस कुपगल या सरुवसल कमेटी
 - जबकल तदरुथ समतलरलरल अस्थायल हुतल हैं और उनुँ सूँपे गए कारुय के पूरा हुने पर उनका असुतललव समाप्त हु जाता है ।
 - उनुँ आगे जूँच समतलरलरल और सलाहकार समतलरलरल में वभलजतल कयल गया है ।
 - प्रमुख तदरुथ समतलरलरल वधलरुयकुँ पर प्रवर और संयुकुत समतलरलरल हैं ।

संसदीय समितियों का महत्त्व:

- **वधायी विशेषज्ञता प्रदान करना:**
 - अधिकांश सांसद चर्चा किये जा रहे विषयों के विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जो जनता की समस्या को समझते हैं लेकिन नरिणय लेने से पूर्व विशेषज्ञों और हतिधारकों की सलाह पर भरोसा करते हैं।
 - संसदीय समितियों सांसदों को विशेषज्ञता हासलि करने में मदद करती हैं और उन्हें मुद्दों पर वसितार से सोचने का समय देती हैं।
- **लघु-संसद के रूप में कार्य करना:**
 - ये समितियाँ एक लघु-संसद के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि उनके पास **वभिनिन दलों का प्रतनिधित्व करने वाले सांसद** होते हैं, जो संसद में उनकी ताकत के अनुपात में, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं।
- **वसितृत जाँच के लयि साधन:**
 - जब इन समितियों को बलि भेजे जाते हैं, तो उनकी बारीकी से जाँच की जाती है और जनता सहति वभिनिन बाहरी हतिधारकों से इनपुट मांगे जाते हैं।
- **सरकार पर नयित्रण प्रदान करता है:**
 - हालाँकि समिति की सफिरारशें सरकार के लयि बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन उनकी रपिरटें उन परामर्शों का एक सार्वजनिक रकिर्ड बनाती हैं जो बहस योग्य प्रावधानों पर अपने रुख पर पुनर्वचिर करने के लयि सरकार पर दबाव डालती हैं।
 - बंद दरवाजे और लोगों की नज़रों से दूर होने के कारण समिति की बैठकों में चर्चा भी अधिक सहयोगी होती है, जसिमें सांसद मीडिया दीर्घाओं के लयि कम दबाव महसूस करते हैं।

संसदीय समितियों को कम महत्त्व दयि जाने से संबद्ध मुद्दे:

- **सरकार की संसदीय प्रणाली का कमज़ोर होना:**
 - संसदीय लोकतंत्र संसद और कार्यपालिका के बीच शक्तियों को समेकति करने के सदिधांत पर काम करता है, लेकिन संसद से यह भी अपेक्षा की जाती है कविह सरकार की ज़मिमेदारी को बनाए रखने के साथ ही इसकी शक्तियों पर भी नयित्रण बनाए रखे।
 - इस प्रकार महत्त्वपूर्ण वधिानों को पारति करते समय **संसदीय समितियों** को महत्त्व न दयि जाने या उन्हें दरकनार करने से लोकतंत्र के कमज़ोर होने का जोखमि उत्पन्न हो सकता है।
- **ब्रूट मेजोरटी को लागू करना:**
 - भारतीय प्रणाली में यह अनविर्य नहीं है क वधियक समितियों को भेजे जाएँ। यह अध्यक्ष (लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति) के वविक पर छोड़ दयि गया है।
 - अध्यक्ष को वविकाधीन शक्ति प्रदान कर इस प्रणाली को विशेष तौर पर लोकसभा में जहाँ बहुमत सत्तारूढ दल के पास होता है, को कमज़ोर रूप में प्रस्तुत कयि गया है।

आगे की राह

- पारति कयि गए महत्त्वपूर्ण वधियकों की जाँच अनविर्य रूप से वधायी प्रक्रयि में बाधा नहीं है, बल्कि कानून की गुणवत्ता और वसितार से शासन की गुणवत्ता को बनाए रखना आवश्यक है।
- इस प्रकार कानून बनाने की प्रक्रयि में संसद की शुचति सुनश्चति करने के लयि मज़बूत संसदीय समिति प्रणाली की आवश्यकता है।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन सी संसदीय समिति जाँच करती है और सदन को रपिरट करती है क संवधिान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजति वनियिमों, नयिमों, उप-नयिमों, उप-वधियों आदि को बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा प्रतनिधिमिंडल के दायरे में उचति रूप से प्रयोग कयि जा रहा है।

- (a) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
- (b) अधीनस्थ वधिान संबंधी समिति
- (c) नयिम समिति
- (d) कार्य मंत्रणा समिति

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- **सरकारी आश्वासन संबंधी समिति:** इस समिति का कार्य समय-समय पर मंत्रयों द्वारा दयि गए आश्वासनों, वादों और उपक्रमों आदिकी सदन के पटल पर जाँच करना है। लोकसभा में इसके सदस्यों की संख्या 15 है, जबकि राज्यसभा में 10 सदस्य हैं।
- **अधीनस्थ वधिान संबंधी समिति:** इस समिति का कार्य इस बात की जाँच करना और सदन को रपिरट करना है क क्यि संवधिान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजति वनियिमों, नयिमों एवं उप-नयिमों, उप-वधियों आदि को बनाने की शक्तियों का ऐसे प्रतनिधिमिंडल के भीतर उचति रूप से प्रयोग कयि जा रहा है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के लयि यह 15 सदस्यीय नकिय है।

- **नयिम समति:** इसका कार्य सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर वचिर करना और इन नयिमों में कसी भी संशोधन या परविरधन की सफिरशि करना है जसि आवश्यक समझा जा सकता है। लोकसभा के लयि यह 15 सदस्यीय नकिय है, जबकि राज्यसभा में 16 सदस्य हैं। समति की अधयक्षता राज्यसभा और लोकसभा के लयि क्रमशः सभापतिया अधयक्ष करते हैं।
- इस समति का कार्य यह सफिरशि करना है कि सरकार द्वारा लाए जाने वाले वधियाी तथा अन्य कार्यों को नपिटाने के लए कतिना समय नयित कया जाए।
- **कार्य मंत्रणा समति:** इस समति का कार्य उस समय की सफिरशि करना है जो ऐसे सरकारी वधियाी और अन्य कार्य की चर्चा के लयि आवंटति कया जाना चाहयि क्योंकि अधयक्ष, सदन के नेता के परामर्श से, इसे समतिको भेजे जाने का नरिदेश दे सकता है। यह लोकसभा में 15 सदस्यीय नकिय है जसिकी अधयक्षता सदन के अधयक्ष करते हैं। इसलयि वकिल्प (b) सही उत्तर है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/parliament-committees>

